IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अनुरक्षण अनुभाग

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ–226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

पत्र सं0– 787 / अभियंत्रण अनुभाग / दिनांक : 07/ 07 /2021

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या-691/अभि.अनु. दिनांक 30.04.2021 द्वारा परिषद में सामुदायिक केन्द्रों की बुकिंग कराने वाले आवेदकों को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, माह-अप्रैल व माह-मई, 2021 में करायी गयी बुकिंग को निरस्त अथवा आगामी तिथियों में शिफ्ट कराये जाने की सुविधा अनुमन्य की गयी थी। मा0 निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 253 वी बैठक में दी गयी कार्योत्तर स्वीकृति के क्रम में, उपरोक्त सुविधा दिनांक 30.06.2021 तक कराई गई बुकिंग पर भी लागू किये जाने के आदेश, निम्न प्रतिबन्ध/शर्तों के अधीन दिये जाते है:-

1. जिन आवंटियों द्वारा बुकिंग तिथि से पूर्व, अपनी बुकिंग निरस्त कराने हेतु आवेदन दिया होगा, केवल उन्हीं आवंटियों को यह सुविधा अनुमन्य होगी।
2. बुकिंग की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. जी0एस0टी0 नियमानुसार कटौती कर, बुकिंग की सम्पूर्ण धनराशि आवंटी को वापस की जायगी।
4. वर्तमान बुकिंग को आगामी तिथियों मे शिफ्ट किये जाने के अनुरोध पर, आवेदित तिथि में सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता के आधार पर, वर्तमान बुकिंग धनराशि को आगामी आवेदित बुकिंग हेतु समायोजित कर लिया जायेगा।

(अजय चौहान)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवाल एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
2. मुख्य अभियन्ता/वित्त नियत्रंक/मुख्य विधि परामर्शी/मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक/वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक/ प्रभारी पी.एम.यू. (सेल)/स्टाफ आफिसर/ सहायक आवास आयुक्त(प्रशा0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता/उप आवास आयुक्त/उपनिदेशक/वास्तुविद नियोजक/सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. पी.एम.यू. सेल/ कम्प्यूटर सेल को प्रभावी कार्यवाही हेतु ।
6. पत्रावली

आवास आयुक्त